

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1977/चैत्र 11, 1899

No. 111]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 1977/CHAITRA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st April 1977

G.S.R. 165(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1 (i) These rules may be called the Central Excise (7th Amendment) Rules, 1977.

(ii) They shall come into force on the 1st day of April, 1977

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 2,—

(1) in clause (ii) (A)—

(a) for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“in the whole of Greater Bombay of the State of Maharashtra, the Collector of Central Excise, Bombay.”

(b) for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely —

“In the districts of Chanda, Bhandara, Nagpur, Akola Buldhana, Yeotmal, Amraoti, Wardha Rajaura, Aunangabad, Parbhani, Nanded, Bhir, all of Maharashtra State, the Collector of Central Excise, Nagpur,”

(c) after sub-clause (1), the following sub-clause shall be inserted, namely.—

“(m) in the State of Madhya Pradesh, the Collector of Central Excise, Madhya Pradesh, having his headquarters for the time being at Nagpur;”

(d) for sub-clause (n), the following sub-clause shall be substituted, namely—

“In the districts of Ahmednagar, Nasik, Satara, Pune, Jalgaon Dhulia, Sholapur, Sangli, Kolhapur and Osmanabad, all of Maharashtra State, the Collector of Central Excise, Pune;”

(e) for sub-clause (r), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“In the districts of Ratnagiri, Kolaba and Thana of the Maharashtra State and in the territory of Goa of the Union territory of Goa, Daman and Diu, the Collector of Central Excise, Outer Bombay, having his headquarters for the time being at Bombay,”

(2) in clause (iia), for sub-clause (a) and sub-clause (b), the following sub-clauses shall be substituted, namely.—

“(a) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise, Bombay, Collector of Central Excise, Outer Bombay having his headquarters for the time being at Bombay; Collector of Central Excise, Pune; Collector of Central Excise, Baroda; Collector of Central Excise, Ahmedabad, Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone; and Collector of Central Excise, Nagpur; the Appellate Collector of Central Excise, Bombay;

(b) in relation to an order or decision of an officer of Central Excise subordinate to the Collector of Central Excise Delhi; Collector of Central Excise, Jaipur, Collector of Central Excise Chandigarh; Collector of Central Excise, Allahabad; Collector of Central Excise, Kanpur, Collector of Central Excise Madhya Pradesh having his headquarters for the time being at Nagpur; the Appellate Collector of Central Excise, Delhi;”

[No. 51/77-CE/F No 201/5(M)/77-CX-6.]*

KRISHNA KANT, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1977

सां. कां. निं. 165 (अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्,—

1. (i) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (7वां संशोधन) नियम 1977 है।

(ii) ये 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 2 में,

(1) खण्ड (ii) (क) में,

(क) उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् —

“महाराष्ट्र राज्य के सम्पूर्ण बृहन्नगर मुम्बई में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मुम्बई।” ;

(ख) उपखण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् —

“चादा, भण्डारा, नागपुर, अकोला, बुल्हाना, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, रजौर, श्रीगंगाबाद, पारभनी, नाडोड, भीर, के जिलों में, जो कि सभी महाराष्ट्र राज्य में हैं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, नागपुर।” ;

(ग) उपखण्ड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“(ड) मध्य प्रदेश राज्य में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मध्यप्रदेश जिनका तत्काल मुख्यालय नागपुर में है।” ,

(घ) उपखण्ड (ह) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा अर्थात् —

“अहमदनगर, नासिक, सतारा, पुणे, जलगाव, धुलिया, शोलापुर, सांगली, कोहनापुर और उसमानाबाद के जिलों में जो कि सभी महाराष्ट्र राज्य में हैं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर पुणे।” ;

(ङ) उपखण्ड (ह) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा अर्थात् .—

“महाराष्ट्र राज्य के रतनगिरि, कोलाबा और थाना जिलों में तथा गोवा, दमण और दीव के मध्य राज्य क्षेत्र के गोवा राज्य क्षेत्र में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर बाह्य मुम्बई जिनका तत्काल मुख्यालय मुम्बई में है।” ,

(2) खण्ड (ii) (क) में, उपखण्ड (क) और उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रगे जाएंगे अर्थात् :—

“(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर मुम्बई, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर बाह्य मुम्बई, जिनका तत्काल मुख्यालय मुम्बई में है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर पुणे, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर बडोदा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर अहमदाबाद, विक्रम आयुक्त काडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, नागपुर के अधीनस्थ किसी उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश या विनिर्देश के सम्बन्ध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अपील कलक्टर, मुम्बई ,

- (ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, दिल्ली; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, जयपुर; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, चण्डीगढ़; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, इलाहाबाद, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, नागपुर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, मध्य प्रदेश, जिनका तत्काल मुख्यालय नागपुर में है, के अधीनस्थ किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के आदेश या विनिश्चय के सम्बन्ध में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अपील कलक्टर, दिल्ली।”।

[सं० 51/77-सी०ई०/फ० न० 2(1/5 (एम)/77-पीएक्स-6]

कृष्ण कान्त, अवसर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977